दैनिक न्याय साक्षी
खबरें खास
रायगढ़, गुरुवार 24 अगस्त 2023
www.nyaysakshi.com

महत्वपूर्ण एवं खास

गल्ला किराना दुकान से रुपए, मोबाइल स्पीकर व ब्लूटूथ चोरी का आरोपी गिरफ्तार

रायगढ़। थाना लैलूंगा के ग्राम पाकरगांव गांव में रहने वाले आदर्श जायसवाल द्वारा कल थाना लैलूंगा में रिपोर्ट दर्ज कराया कि 22/08/2023 की रात्रि उसके किराना दुकान का गला खुला रहने से कोई अज्ञात व्यक्ति नगदी रकम, मोबाइल ब्लूटूथ, स्पीकर और 1 लीटर पेट्रोल चोरी कर ले गया था, रात में ही दुकान आसपास पता करने पर गांव के युवराज सिदार द्वारा दीवाल फांद कर रात्रि में किराना दुकान घुसकर चोरी करना की जानकारी मिली, आदर्श जायसवाल के रिपोर्ट पर आरोपी युवराज सिदार पर नकबजनी का अपराध दर्ज कर थाना प्रभारी लैलूंगा निरीक्षक मोहन भारद्वाज द्वारा तत्काल अपने स्टाफ के साथ आरोपी युवराज सिदार पिता बलराम सिदार उम्र 19 साल निवासी पकड़गांव जूनापारा थाना लैलूंगा को हिरासत में लिया गया जिसे पूछताछ में चोरी करना कबूल किया। आरोपी के मेमोरेंडम पर नगदी रकम, मोबाइल स्पीकर और ब्लूटूथ जुमला कीमती 2500 रुपए की मशरूका जप्त कर आरोपी को न्यायिक निर्माण पर भेजा गया है।

खुली तलवार लिए घूम रहे दो युवकों पर लैलूंगा पुलिस ने की आर्म्स एक्ट की कार्यवाही

रायगढ़। पिछले दो दिनों से लैलूंगा पुलिस द्वारा मुखबीर सूचना पर दो युवकों को खुले हथियार (तलवार) के साथ सार्वजनिक स्थान पर लोगों को डराते धमकाते पाए जाने पर सुरक्षा उपायों के साथ पकड़ा गया है। 21 अगस्त को लैलूंगा पुलिस द्वारा बाजारपारा बीच बस्ती में आरोपी कादिर अली पिता कपूर अली बाजारपारा लैलूंगा रायगढ़ को तलवार के साथ पकड़ा गया है। वहीं कल इंदिरा नगर बस्ती में आरोपी राहुल सारथी पिता पिंटू सारथी उम्र 23 साल इंदिरा नगर लैलूंगा को तलवार समेत हिरासत में लेकर थाने लाया गया जिन पर धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट की कार्यवाही कर आरोपियों को न्यायिक निर्माण पर भेजा गया है।

उप मुख्यमंत्री सिंहदेव राज्य के 25 आयुष संस्थाओं को देंगे पुरस्कार

रायपुर (आरएनएस)। उप मुख्यमंत्री तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री टी.एस. सिंहदेव 24 अगस्त को स्वच्छता को बढ़ावा देने और संक्रमण की रोकथाम के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले राज्य के 25 आयुष संस्थाओं को पुरस्कृत करेंगे। राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत केन्द्रीय आयुष मंत्रालय के दिशा-निर्देशानुसार आयुष संस्थाओं में स्वच्छता को बढ़ावा देने और संक्रमण की रोकथाम के साथ गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए प्रदेश में कायाकल्प-आयुष का क्रियान्वयन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य है।

ऑनलाईन ठगी कर खाते से 49 हजार पार

रायपुर (आरएनएस)। राजेन्द्र नगर थाना क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति के खाते से अज्ञात शख्स ने ओटीपी पूछकर करीब 49 हजार रूपए पार कर दिया। प्रार्थी की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ जुर्म दर्ज कर प्रकरण जांच में लिया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि प्रार्थी सरोज कुमार नायक निवासी डेफो बील बिल्डिंग मकान नंबर 502 अमलीडीह ने शिकायत दर्ज कराया कि घटना दिनांक 12 अगस्त को प्रार्थी के मोबाइल पर एक मैसेज आया, जो कि एडी, एचसीसी डीपीटी से आया हुआ था। इसके बाद प्रार्थी से बैंक खाते का आईडी और पासवर्ड पूछा गया। इसकी जानकारी देने के बाद थोड़ी देर बाद बैंक से 49 हजार रूपए निकालने का मैसेज आया। खुद को ठगा महसूस करते हुए प्रार्थी ने तत्काल इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ जुर्म दर्ज कर प्रकरण जांच में लिया है।

मुख्यमंत्री ने चंद्रयान-3 की चंद्रमा पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग पर इसरो के वैज्ञानिकों को दी बधाई

रायपुर (आरएनएस)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चंद्रयान-3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के वैज्ञानिकों और देशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि हमारे वैज्ञानिकों ने अपनी प्रतिभा से इस कठिन मिशन को पूरा कर इतिहास रच दिया है। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश और चंद्रमा पर पहुंचने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। देश के लोगों को इस उपलब्धि पर गर्व है। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के तीन करोड़ नागरिकों की ओर से इस मिशन से जुड़े सभी लोगों को बधाई दी है।

नेशनल हाईवे में खुले में मवेशी विचरण की सूचना के लिए हेल्प लाइन नंबर जारी : शहरी क्षेत्र में 1100 पर कॉल कर दे सकते है सूचना

- नेशनल हाईवे के रायगढ़, पुसौर एवं खरसिया ब्लॉक के ग्रामीण ईलाकों के लिए भी जारी किए गए है नंबर्स
- खुले में पशुओं को छोड़ने वाले 35 पशुपालकों पर 35 हजार 500 रुपए का हुआ जुर्माना
- दुर्घटना से बचाव के लिए 2017 पशुओं के गले में लगाए गए रेडियम बेल्ट, 2156 मवेशियों की हुई टैगिंग
- कलेक्टर सिन्हा के निर्देश पर आवारा पशुओं पर हो रही लगातार कार्यवाही

रायगढ़। सड़कों और नेशनल हाईवे में खुले घूमने वाले आवारा पशुओं से निजात दिलाने के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। पशुओं के गले में रेडियम बैंड लगाने और टैगिंग करने के साथ खुले में घूमने वाले पशुओं को गौशाला अथवा गौठान में विस्थापित भी किया जा रहा है। इसी क्रम में अब नेशनल हाईवे में पशुओं के खुले में विचरण की शिकायत व सूचना के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। जिसमें शहरी क्षेत्र के लिए नंबर 1100 पर कॉल कर सूचना दी जा सकती है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी 70000-23061 मोबाइल नंबर जारी किया गया है। इसी तरह नेशनल हाईवे के ग्रामीण इलाकों के लिए विशेष नोडल अधिकारी बनाये गये है जिसमें खरसिया ब्लॉक के लिए मोबाइल नंबर 96694-65241, रायगढ़ ब्लॉक के लिए 94241-85427 एवं पुसौर ब्लॉक के लिए मोबाइल नंबर 62611-62293 जारी किया गया है।

कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा के निर्देश में पूरे जिले में खुले में विचरण करने वाले पशुओं के गले में रेडियम बैंड और टैगिंग का कार्य किया जा रहा है। अभी तक जिले में 2 हजार 17 पशुओं के गले में रेडियम बेल्ट और 2 हजार 156 पशुओं की टैगिंग किया गया है। इसी के साथ ही करीब 783 पशुओं को सड़कों से गौशाला, गौठान व अन्य जगहों पर शिफ्ट किया गया है। इसी के साथ ही नगर निगम द्वारा आवारा पशुओं एवं पशुओं को खुले में छोडने वाले पशुपालकों पर 35 हजार 500 रूपए जुर्माने की कार्यवाही भी की गई है।

उल्लेखनीय हैं कि कलेक्टर सिन्हा ने पालतू पशुओं को आवारा छोडऩे वालों पर कार्यवाही करने और अर्थदंड लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने पशुपालन विभाग के साथ नगर निगम आयुक्त को शहरी क्षेत्र में विशेष रूप से इस दिशा में कार्यवाही करने एवं नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। पशुपालन विभाग द्वारा कार्यवाही करने के साथ ही पशुओं का उपचार भी किया जा रहा है। इसी प्रकार निगम द्वारा शहरी क्षेत्रों में अभियान के तहत आवारा मवेशियों पर कार्यवाही करते हुए काउ कैचर के माध्यम से सड़कों से आवारा मवेशियों को संबलपुरी गोठान में विस्थापित कर, पशुओं को खुले में छोडऩे वाले पशुपालकों पर जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है।

पशुओं को खुले में छोडऩे पर कलेक्टर ने अर्थदण्ड की कार्यवाही का जारी किया है आदेश- कलेक्टर सिन्हा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में आवारा घूम रहे पशुओं के पालकों पर कड़ाई से कार्यवाही किए जाने हेतु आदेश जारी किया है। जारी आदेश में पशु अतिचार अधिनियम 1871 के अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों में विचरण कर रहे पशुओं को कांजी हाउस में बंद कर पशुपालक के विरूद्ध धारा 12 के तहत अर्थदण्ड अधिरोपित किए जाने का प्रावधान है। जिला अंतर्गत ग्राम पंचायत सचिव को इसके लिए अधिकृत किया जाता है कि वे छ.ग.पंचायत राज अधिनियम, 1993 एवं पशु अतिचार अधिनियम, 1871 में निहित धाराओं एवं नियमों के तहत अपने ग्राम पंचायत क्षेत्र में खुले में पशुओं द्वारा फसलों की चराई करने, सड़कों, उद्यानों एवं सार्वजनिक स्थलों में विचरण करते पाए जाने पर निकटतम कांजी हाउस में भेजकर पशुपालकों पर अर्थदण्ड की कार्यवाही की जावे। पशु अतिचार अधिनियम, 1871 के तहत पशुपालकों अधिकतम एक हजार रूपए एवं पुनरावृत्ति की दशा में राशि 500 रूपए जुर्माना का प्रावधान है। उन्होंने सभी ग्राम पंचायत सचिव को कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

नए मतदाताओं ने फ्लैश मॉब कर मतदान के लिए किया प्रेरित

- रायगढ़ के बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ चौक पर मतदान के लिए युवा वोटर्स की कलात्मक अपील
- अधिकारी-कर्मचारियों ने परफॉर्मेंस में साथ देकर बढ़ाया हौसला

रायगढ़। रायगढ़ के युवा मतदाताओं ने लोगों को मतदान के लिए कलात्मक तरीके से अपील की। रायगढ़ के हृदय स्थल बेटी बचाओ बेटी-पढ़ाओ चौक में शाम को युवा मतदाताओं की टोली जुटी और 'फ्लैश मॉब' कर अनोखे तरीके से मतदान का संदेश दिया। इन युवाओं ने भारत निर्वाचन आयोग के थीम सॉन्ग 'मैं भारत हूं' पर सुंदर तरीके से सामूहिक नृत्य की प्रस्तुति दी। शाम को जब यह परफॉर्मेंस शुरू हुई तो गुजरने वाले राहगीर भी खुद को इसे देखने से रोक नही सके। पूरे कार्यक्रम के दौरान लोग मोबाइल में वीडियो बनाते नजर आए। सभी ने युवा वोटर्स का हौसला बढ़ाया। इस प्रदर्शन में अधिकारी-कर्मचारियों ने उनका बखूबी साथ दिया। एसडीएम रायगढ़ गगन शर्मा, तहसीलदार लोमस मिरी सहित रायगढ़ अनुविभाग के सारे पटवारियों ने भी परफॉर्मेंस में पूरे जोश के साथ भागीदारी निभाई। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सभी लोगों को मतदान की शपथ दिलाई गई।

लूटपाट की सूचना पर चक्रधरनगर पुलिस की त्वरित कार्यवाही... लूट के 25,000 रुपए के साथ चंद घंटों में गिरफ्तार हुआ आरोपी

- गिरफ्तार आरोपी जूटमिल का है निगरानी बदमाश
- दो दर्जन से अधिक मामलों में पुलिस ने की है कार्यवाही

रायगढ़। आसन्न विधानसभा चुनाव को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय सदानंद कुमार द्वारा क्षेत्र में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए थाना प्रभारी को उनके बदमाशों पर तत्काल रूप से प्रभावी कार्यवाही करने का निर्देश दिये गये हैं। गत दिनों चक्रधरनगर पुलिस द्वारा लूटपाट के मामले में जूटमिल के आदतन गुंडा बदमाश विशाल ठाकुर को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।

वहीं कल थाना चक्रधरनगर में ग्राम नंदेली में रहने वाले बाल गोविंद पटेल द्वारा जेलपारा रायगढ़ के रहने वाले प्रकाश दास महंत पर झगड़ा, मारपीट लूटपाट की रिपोर्ट दर्ज करते हुये बताया कि कल सुबह करीब 10:00 बजे अपने लेबर विष्णु मंडल के साथ शंनि मंदिर के पास जा रहा था, रास्ते में मरीन ड्राइव स्टॉप ड्रीम के पास प्रकाश महंत रास्ता रोककर शराब पीने के लिए रुपए की मांग कर हाथ में रखे बांस के डंडे से मारपीट, गाली गलौज करते हुए जेब में रखें रु.25,000 को लूटकर भाग गया। थाना प्रभारी चक्रधरनगर द्वारा शहर के निगरानी बदमाश प्रकाश दास महंत द्वारा वारदात को अंजाम देने की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को देते हुये पीड़ित के आवेदन पर लूट का अपराध दर्ज करते हुए तत्काल अपने स्टाफ के साथ आरोपी की पतासाजी किया गया और उसे चंद घंटे में जूटमिल क्षेत्र से लूट के सारे रकम रु.25,000 के साथ हिरासत में लिया गया। पुलिस ने आरोपी के मेमोरेंडम पर लूट की रकम 25,000 रुपए और मारपीट में प्रयुक्त एक बस का डंडा की जप्ती कर आरोपी को न्यायिक रिमांड बाद जेल दाखिल किया गया है। विदित हो कि आरोपी प्रकाश दास महंत पिता लालसाय दास महंत उम्र 32 साल निवासी जेलपारा पीछे प्रगति नगर थाना जूटमिल रायगढ़ जो थाना जूटमिल का निगरानी बदमाश है। आरोपी पर प्राप्त शिकायतों को लेकर जूटमिल पुलिस द्वारा अब तक आपराधिक एवं प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत 24 मामले दर्ज किये जा चुके हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा ऐसे बदमाशों को चिन्हित कर जिला बदर के निर्देश दिए गए हैं, चक्रधरनगर पुलिस की त्वरित कार्यवाही में थाना प्रभारी चक्रधरनगर निरीक्षक प्रशांत राव अहेर एवं हमराह स्टाफ की अहम भूमिका रही है।

निदेशक रंजीता रश्मि पहुंची तमनार के रीपा गौठान, समूह की महिलाओं का किया उत्साहवर्धन

- गौठान में संचालित आजीविका गतिविधियों की सराहना
- शासन की योजनाओं से जीवन में आये बदलाव पर ग्रामीणों से की चर्चा
- जल संरक्षण की दिशा में किए जा रहे विभिन्न कार्यों का किया अवलोकन

रायगढ़। जल शक्ति अभियान की नोडल अधिकारी रंजीता रश्मि रायगढ़ प्रवास के दूसरे दिन ग्राम पंचायत तमनार के रीपा गौठान पहुंची। यहां उन्होंने संचालित विभिन्न आजीविका गतिविधियों की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने उद्यमियों से मुलाकात करते हुए आजीविका गतिविधियों की सराहना। उन्होंने स्व-सहायता समूह की महिलाओं से मिलकर उनका उत्साहवर्धन भी किया।

निदेशक रंजीता रश्मि ने महुआपाली में उद्यानिकी विभाग एवं नरेगा अभिसरण से स्वीकृत वृक्षारोपण कार्य का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। ग्राम पंचायत देवगढ़ में अमृत सरोवर और नरेगा से स्वीकृत कुआं कार्य को देखते हुए हितग्राही सहनीराम सिदार, मायाराम सिदार से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने योजना से उनके जीवन में आए परिवर्तन को जानने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे बदलाव को लेकर चर्चा की। निदेशक रंजीता रश्मि घरघोड़ा विकास खण्ड के ग्राम पंचायत झाडिय़ापाली में अमृत सरोवर और ग्राम पंचायत भालूमार में जल जीवन मिशन कार्य का अवलोकन किया। इसी तरह उन्होंने रायगढ़ जनपद के अंतर्गत ग्राम पंचायत जुनवानी में वन विभाग के मिनी चेक डैम तथा जुर्डा ग्राम पंचायत के मियाबाँकी प्रोजेक्ट को भी देखी।

इस दौरान डिप्टी कलेक्टर रेखा चन्द्रा, सीईओ जनपद पंचायत तमनार वीरेन्द्र कुमार राय, अतिरिक्त जनपद सीईओ मदन साहू, कार्यक्रम अधिकारी प्रफुल्ल किण्डो, एपीओ राजेश शर्मा, जिला तकनीकी समन्वयक आशुतोष श्रीवास्तव जिला प्रोग्रामर अभिषेक दण्डेकर एवं संबंधित विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

मुख्य न्यायाधीश, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट रमेश सिन्हा ने रायगढ़ जिला न्यायालय का किया निरीक्षण

- न्यायिक अधिकारियों की ली बैठक, अधिवक्ताओं से की मुलाकात

रायगढ़। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा कल एक दिवसीय रायगढ़ प्रवास पर आये थे। इस दौरान उन्होंने जिला न्यायालय रायगढ़ का निरीक्षण किया और कक्षों में जाकर कामकाज की जानकारी ली। उन्होंने न्यायालय के रिकार्ड रूम में प्रकरणों को उचित एवं व्यवस्थित रूप से रखने हेतु जिला न्यायाधीश रायगढ़ को निर्देशित किया।

निरीक्षण के दौरान उन्होंने वाटर फिल्टर तथा आसपास सफाई हेतु भी निर्देशित किया। मुख्य न्यायाधीश सिन्हा निरीक्षण के दौरान रायगढ़ न्यायालय में अधिवक्ताओं से भी मुलाकात की तथा उनको संबोधित भी किया। तत्पश्चात उन्होंने जिला न्यायालय में न्यायिक अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

बैठक में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार सिन्हा, कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कमलेश जगदल्ला, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दीपक कुमार कोशले, शासकीय अभिभाषक दीपक शर्मा, प्रशासनिक अधिकारी जिला अधिवक्ता संघ सत्येन्द्र सिंह सहित अन्य सभी न्यायायिक अधिकारी व अधिवक्तागण उपस्थित रहे।

अंतरर्राज्यीय सीमावर्ती मतदान केन्द्रों पर विशेष निगरानी रखने के दिए निर्देश

- बेहतर तैयारियों से आसान होगा निर्वाचन का कार्य- कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा
- आरओ,राजस्व एवं पुलिस अधिकारी समन्वय से करें कार्य, मिलेगा बेहतर रिजल्ट
- निर्वाचन की तैयारियों एवं लॉ-एण्ड आर्डर के संबंध में कलेक्टर सिन्हा ने ली आरओ, राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों की संयुक्त बैठक

रायगढ़। आगामी विधानसभा निर्वाचन के मद्देनजर कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में निर्वाचन के संबंध में आवश्यक तैयारियों, कार्ययोजना एवं लॉ-एण्ड आर्डर पर आरओ, राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों की संयुक्त बैठक ली। कलेक्टर सिन्हा ने सभी अधिकारियों से कहा कि निर्वाचन से पूर्व जितनी अच्छी हमारी तैयारियां होगी, निर्वाचन का कार्य उतना बेहतर होगा। इसलिए आरओ, राजस्व एवं पुलिस विभाग के अधिकारी समन्वय के साथ कार्य करें। इस अवसर पर सीईओ जिला पंचायत जितेन्दर यादव, अपर कलेक्टर सुश्री संतन देवी जांगड़े, प्रशिक्षु आईपीएस उदित पुष्कर उपस्थित रहे।

कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा ने आयोजित बैठक में कार्यपालिक दण्डाधिकारी एवं थाना प्रभारी को मतदान केन्द्रों का बेहतर ढ़ंग से निरीक्षण करने के निर्देश दिए। ताकि उन केन्द्रों की दिक्कतों एवं समस्याओं का निराकरण किया जा सके। उन्होंने कहा कि निर्वाचन में आने वाली समस्याओं पर समन्वय से निर्णय लेते हुए कार्य करें एवं पूर्वानुमान भी लगाये। इस दौरान कलेक्टर सिन्हा ने उड़ीसा सीमा से लगे मतदान केन्द्रों पर विस्तृत चर्चा करते हुए यहां निगरानी व सुरक्षा को लेकर थाना प्रभारियों को विशेष निर्देश दिए। उन्होंने ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों एवं बार्डर पर विशेष निगरानी रखने तथा अंतर्राज्यीय सीमा से पैसों तथा शराब परिवहन पर कार्यवाही के निर्देश दिए। उन्होंने निर्वाचन में पर्याप्त वाहनों की व्यवस्था के साथ ही मतदान केन्द्र के समीपस्थ पार्किंग व्यवस्था के संबंध में निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने शेडो एरिया वाले मतदान केन्द्रों पर चर्चा की। उन्होनें सभी अधिकरियों को कम्यूनिकेशन प्लान बनाने के निर्देश दिए, जिससे निर्वाचन कार्य में आसानी हो। इस दौरान एफएसटी, व्हीएसटी, एसएसटी निर्वाचन टीम को आचार संहिता के लगते ही अपनी गतिविधियां तत्काल प्रारंभ करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर सिन्हा ने कहा कि निर्वाचन केन्द्रों के साथ बार्डर की निगरानी वेब कॉस्टिंग के माध्यम की जाएगी। उन्होंने वल्नारेबल एवं क्रिटिकल मतदान कन्द्रों पर चर्चा करते हुए विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने अपराधियों एवं बदमाशों पर निगरानी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्वाचन में मेडिकल टीम बनाने के निर्देश दिए, जिसके तहत सभी अधिकारियों की स्वास्थ्य जांच के साथ मतदान केन्द्रों में उन्हे आवश्यकता पडऩे पर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाया जा सके। उन्होंने निर्वाचन के दौरान बाहर से आने वाले पुलिस बलों के रूकने की व्यवस्था के लिए पानी, बिजली एवं मूलभूत सुविधायुक्त भवन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर सिन्हा ने पुलिस विभाग को आबकारी विभाग के साथ बैठक लेकर निर्वाचन के दौरान अवैध शराब पर संयुक्त कार्यवाही के निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को कहा कि कोटवार अंतिम कड़ी हैं, अत:निर्वाचन में उनका सहयोग लिया जाए। इस दौरान उन्होंने पुराने शराब व्यवसायियों एवं बदमाशों पर निगरानी रखने के निर्देश दिए।

बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय महादेवा, सीएसपी रायगढ़ अभिनव उपाध्याय, उप जिला निर्वाचन अधिकारी ऋतु हेमनामी, रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, कार्यपालिक दण्डाधिकारी एवं थाना प्रभारी उपस्थित रहे।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480